200

CANCELLED

समक्ष न्यायालय राजस्व मंडल कैम्प कोर्ट जबलपुर
--- R-3836-I-16

183

जयंत पारवेकर पिता स्व. श्री बलीराम बालकृष्ण पारवेकर
उम्र करीब 54 साल, निवासी-विवेकानंद कॉलोनी, प्लॉट नं-85,
तह0 व जिला छिंदवाड़ा .....पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन, व्दारा जिलाध्यक्ष छिंदवाड़ा
तह0 व जिला छिंदवाड़ा .....उत्तरवादी

अजय गौतम
रीडर
03 OCT 2016
अधीक्षक
कार्यालय कलेक्टर, छिंदवाड़ा (म.प्र.)

राजस्व पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0राजस्व संहिता

न्यायालय नजूल अधिकारी छिंदवाड़ा के रा0प्र0क्रं-5/अ-6/2015-2016, जयन्त पारवेकर विरुद्ध श्रीमति कला बक्षी एवं अन्य में पुनरीक्षणकर्ता व्दारा प्रस्तुत आपत्ति को निरस्त किये जाने के आदेश दिनांक 2/9/2016 से व्यथित होकर पुनरीक्षणकर्ता निम्नलिखित आधारों पर एवं अन्य आधारों पर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है:-

प्रकरण के तथ्य

1- यह कि, पुनरीक्षणकर्ता व्दारा अनावेदक श्रीमति कला एवं अन्य व्दारा उसके पक्ष में किये गये विक्रय पत्र दि-7-5-2010 जिसमें 2400 वर्गफुट का भूखंड एवं 842 वर्गफुट पर बने मकान का विक्रय किया गया, के आधार पर नजूल अभिलेखों में नामान्तरण हेतु आवेदन दि-1-9-2015 को प्रस्तुत किया जिसमें दि-15-10-2015 को इश्तहार जारी किया गया एवं दि-18-12-2015 को अनावेदकगणों को सूचनापत्र की तामीली होने के बाद उनकी अनुपस्थिती के कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तत्पश्चात दि-22-1-2016 को आवेदक व्दारा अपने पक्ष के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत की एवं पश्चातक्रम में मूल विक्रय पत्र भी प्रकरण में उपलब्ध कराया।

तत्पश्चात विद्वान कनिष्ठ न्यायालय द्वारा प्रकरण में राजस्व निरीक्षण से प्रतिवेदन आहूत किया गया। राजस्व निरीक्षक व्दारा उक्त नामान्तरण के प्रकरण में शासन व्दारा जारी किये गये लीज नवीनीकरण सम्बन्धी पत्र क्रं-एफ 6-48/2014/7 नजूल दि-11-7-2014 के आधार पर आवेदक के विरुद्ध विक्रय पत्र में वर्णित प्रतिफल की राशि 15,00,000/- के आधार पर शास्ति एवं इसपर 13,500/- छह वर्ष की अवधि का ब्याज आंकलित किया।

--2--

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3836-एक/16 **जिला** - छिंदवाड़ा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25/02/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अजय गौतम उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नजूल अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नजूल अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 30.04.2019 को कलेक्टर जिला छिंदवाड़ा के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **कलेक्टर जिला छिंदवाड़ा**	